

भारत सरकार

Government of India

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

CENTRAL TRANSLATION BUREAU

राजभाषा विभाग: गृह मंत्रालय

Department of Official Language: Ministry of Home Affairs

पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, 8वां तल, बी-ब्लॉक,
Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 8th Floor, B-Block,
केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
C.G.O. Complex, Lodi Road, New Delhi-110003

दिनांक: 21.02.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संघ सरकार के कार्यालयों/संगठनों में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों/अनुवादकों तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े कर्मिकों के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 की अवधि में आयोजित किए जाने वाले अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन के संबंध में।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 27.04.2016 के का० जा० सं० 13011/52/2014-रा.भा. (केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो) के अनुसार केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा वर्ष 2018-2019 के दौरान विभिन्न अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों और समयावधि के अनुसार आयोजित किए जाएंगे:-

उद्देश्य: ब्यूरो द्वारा संचालित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य राजभाषा हिंदी का अभीष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए अनुवाद में प्रयुक्त नवीनतम संकल्पनाओं, तकनीकों और विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्दावलियों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा हिंदी व अनुवाद कार्य में कंप्यूटर के प्रयोग और उपलब्ध यांत्रिक सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना तथा शब्दों के प्रयोग में अखिल भारतीय एकरूपता सुनिश्चित करना भी इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है। उक्त प्रशिक्षण से केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को अनुवाद और राजभाषा हिंदी के प्रयोग और कार्यान्वयन के संबंध में विशद जानकारी प्राप्त होती है। यह सभी कार्यक्रम सरकारी कर्मिकों में अनुवाद कौशल के विकास के लिए अनिवार्य हैं। अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है:-

क्रम सं०	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	पात्रता	कार्यक्रम की कुल अवधि/ न्यूनतम प्रशिक्षार्थी संख्या	कार्यक्रम का समय विवरण	कार्यक्रम की कुल संख्या/ कुल प्रशिक्षार्थी संख्या	कार्यक्रम का स्थान	परीक्षा एवं प्रमाण-पत्र
1	प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण (अनिवार्य)। (Induction Translation Training) (compulsory)	हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अन्य कर्मिकों के लिए अनिवार्य	06 सप्ताह/ 30 कार्य दिवसीय, 15 प्रशिक्षार्थी	अप्रैल-जून, जुलाई - सितम्बर, अक्टूबर - दिसम्बर, जनवरी - मार्च, 2019	04 कार्यक्रम. X04 केंद्र=16, 16X20 प्रशिक्षार्थी = 320	ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली तथा अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र मुंबई, बंगलूर एवं कोलकाता	प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम सप्ताह में परीक्षा तथा सत्र के अंत में प्रमाण-पत्र एवं पदक वितरण

2.	अधिकारियों के लिए उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण (Advanced Translation Training for officers)	सरकारी कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/ बैंकों आदि के राजभाषा अधिकारियों/हिंदी अधिकारियों तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों के लिए ।	01 सप्ताह / 5 कार्य दिवसीय, 15 प्रशिक्षार्थी ।	अप्रैल - जुलाई, 2018, अगस्त - नवम्बर, 2018, दिसम्बर, 2018, मार्च, 2019	03 कार्यक्रम 03x20 = 60 प्रशिक्षार्थी	ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली ।	प्रशिक्षण के समापन पर प्रमाण-पत्र वितरण ।
----	--	--	--	--	---------------------------------------	------------------------------	---

3.	पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण (Refresher Translation Training)	हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े वे सभी कर्मचारी, (उनके पदनाम चाहे जो भी हों) जिन्होंने पहले त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण/ प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है ।	05 कार्यदिवस, 15 प्रशिक्षार्थी ।	पहली छमाही, दूसरी छमाही ।	02 कार्यक्रम X04 केंद्र=08 , 08X20 = 160 प्रशिक्षार्थी ।	ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली तथा अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र मुंबई, बेंगलूर एवं कोलकाता	प्रशिक्षण के समापन पर प्रमाण-पत्र वितरण ।
----	---	--	----------------------------------	---------------------------	--	---	---

4.	संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण(आउटरीच) (Short-term Translation Training) (Out-reach)	कार्यालयों/ संगठनों आदि में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़े कर्मियों के लिए ।	05 कार्यदिवस, 15 प्रशिक्षार्थी	वर्ष में, मुख्यालय द्वारा- 10, तथा तीनों केंद्रों द्वारा प्रत्येक छमाही में एक । कुल 10+3x2 = 16	16 कार्यक्रमX 25 प्रशिक्षार्थी = 400 प्रशिक्षार्थी ।	किसी भी कार्यालय / संगठन / नराकास की मांग पर भारत में कहीं भी	प्रशिक्षण के समापन पर प्रमाण-पत्र वितरण
5.	विशेष तकनीकी अनुवाद प्रशिक्षण (Special Technical- Translation Training)	वैज्ञानिकों, तकनीकविदों, इंजीनियरों एवं अन्य विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए	05 कार्यदिवस, 15 प्रशिक्षार्थी	प्रत्येक तिमाही में एक प्रशिक्षण	04 कार्यक्रम, 04x20 प्रशिक्षार्थी = 80	ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली में तथा कार्यालयों/ संगठनों/उपक्रमों एवं नराकास की मांग पर भारत में कहीं भी	प्रशिक्षण के समापन पर प्रमाण-पत्र वितरण

1. प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण (अनिवार्य) (Induction Translation training (compulsory))

(i) प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उद्यमों, निगमों, कंपनियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्त निकायों, आदि में कार्यरत हिंदी अधिकारियों, हिंदी अनुवादकों, हिंदी सहायकों तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अन्य सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सेवाकालीन अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऐसे सभी अधिकारी-कर्मचारी पात्र होंगे, जिन्होंने स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषय पढ़े हों।

(ii) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्यूरो के संकाय सदस्यों के अलावा, विभिन्न तकनीकी विषयों जैसे - आईटी, इंजीनियरी, वित्त एवं लेखा, चिकित्सा, विधि आदि के अधिकतम 12 विशेषज्ञों के अतिथि व्याख्यान भी आयोजित किए जाएंगे।

(iii) प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण (30 कार्यदिवसीय) के अंत में प्रशिक्षार्थियों की 100 अंकों की परीक्षा होगी। 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को "उत्कृष्ट" श्रेणी में रखा जाएगा। परीक्षा में 03 सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षार्थियों (न्यूनतम 75 प्रतिशत और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों) को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षार्थियों को 60 से 74 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर "बहुत अच्छा" और 40 से 59 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर "अच्छा" की श्रेणी में वर्गीकृतकर तदनुसार प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। 40 से कम अंक प्राप्त करने पर "प्रशिक्षण प्राप्त किया" आशय का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

2. उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम:

इस कार्यक्रम में सरकारी कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/ बैंकों आदि के राजभाषा अधिकारी/हिंदी अधिकारी तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी भाग ले सकेंगे। यह उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषज्ञ अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ब्यूरो के निदेशक और संयुक्त निदेशक भी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

3. पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम:

इस कार्यक्रम में वे हिंदी अनुवादक/हिंदी सहायक तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े कर्मचारी, (उनके पदनाम चाहे जो भी हों) भाग ले सकेंगे, जिन्होंने पूर्व में संचालित त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषज्ञ अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्यूरो के निदेशक और संयुक्त निदेशक भी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

4. संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का आयोजन अलग-अलग कार्यालयों अथवा नगरास की मांग पर, उनके कार्यालयों में जाकर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कार्यालयों/संगठनों के अनुवादकार्य अथवा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी भाग ले सकेंगे। इस कार्यक्रम में ब्यूरो के दो संकाय सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

5. विशेष तकनीकी अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम वैज्ञानिकों, तकनीकविदों, इंजीनियरों तथा अन्य विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए होगा।

"विशेष तकनीकी अनुवाद प्रशिक्षण" कार्यक्रम विशेषज्ञ विद्वानों के सहयोग और अतिथि व्याख्यान के द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम संगठनविशेष के लिए होगा। इसमें संबंधित संगठन के सेवारत अथवा अवकाशप्राप्त विषयविशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। ब्यूरो के अधिकारी इन कार्यक्रमों का समन्वय करेंगे।

6. ब्यूरो के अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपर्युक्त व्यवस्था के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यवस्था भी लागू होगी:

- प्रत्येक प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम 20 और अधिकतम 25 रखी जाएगी, जिससे कि विषय के प्रतिपादन तथा व्यावहारिक अभ्यास के समय सभी प्रशिक्षार्थियों पर समुचित ध्यान दिया जा सके।
- प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित पाठ्य-विषय के अनुसार ही अध्यापन/प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विषयवस्तु का प्रतिपादन उदाहरण-आधारित होगा तथा तत्संबंधी अनुवाद-अभ्यास पर बल दिया जाएगा।



- iv. सभी अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में तकनीक-आधारित अनुवाद-कौशल-संवर्धन को प्राथमिकता दी जाएगी।
v. ब्यूरो के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कौशल के विकास के लिए प्रति वर्ष अथिति संकाय (guest faculty) के व्याख्यानों के द्वारा एक सप्ताह का 'प्रशिक्षक-प्रशिक्षण' (Trainers' Training) कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

7. ये कार्यक्रम भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों आदि में अनुवाद तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य हैं।

8. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के तारीख 18.11.87 के का० जा० सं० 13017/6/87- रा. भा. (ग) में यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों आदि में अनुवाद तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया जाए, चाहे उनके पदनाम कुछ भी क्यों न हों।

9. ये कार्यक्रम निःशुल्क हैं और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के मुख्यालय नई दिल्ली तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के मुंबई, बेंगलूर और कोलकाता स्थित केंद्रों के द्वारा आयोजित किए जाएंगे।

संपर्क सूत्र

1. उत्तरी क्षेत्र	निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, पं. दीनदयालय अंत्योदय भवन, 8वीं मंजिल, बी-ब्लॉक, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 दूरभाष: 011- 24362025, 24362151, 24362988, 24361734 फैक्स: 011- 24362988, 24362151, 24362025 ई मेल - directb-dol@nic.in jdctb-dol@nic.in adtrainingctbdelhi@gmail.com	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का छात्रावास, क्वार्टर नं. 876 से 890, सेक्टर -7 पुष्प विहार (पुष्पा भवन के पास), नई दिल्ली - 110017 दूरभाष: 011-29562873
2. पश्चिमी क्षेत्र	सहायक निदेशक/केंद्र प्रभारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय सदन, छठी मंजिल, सी.बी.डी.बेलापुर, नवी मुंबई - 400614 दूरभाष: 022-27572726 फैक्स: 022-27566902 ई-मेल - admumctb-dol@nic.in	छात्रावास उपलब्ध नहीं है।
3. दक्षिणी क्षेत्र	संयुक्त निदेशक / केंद्र प्रभारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय सदन, पांचवां तल,"डी" विंग, कोरमंगला, बेंगलूर - 560034 दूरभाष: 080-25502162 फैक्स: 080-25531946 ई-मेल- jdctb.bangalore@gmail.com adbangctb-dol@nic.in ,	निकट भविष्य में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
4. पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र	सहायक निदेशक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, बालीगंज पार्क टावर्स, 10वां तल, 67-बी, बालीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता - 700019 दूरभाष: 033-22876799 फैक्स: 033-22876044 ई-मेल - adkolctb-dol@nic.in	छात्रावास उपलब्ध नहीं है।

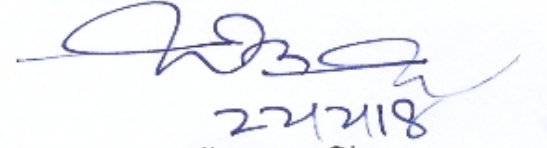
जारी -----5/-



केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी, यथा वार्षिक कैलेंडर, पात्रता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषयवस्तु आदि ब्यूरो/राजभाषा विभाग की वेबसाइट (<http://ctb.rajbhasha.gov.in>) पर देखी जा सकती है।

अतः भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों आदि से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय के साथ-साथ अपने अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिनसे अनुवाद कार्य या सरकारी कार्य द्विभाषिक रूप में (हिंदी और अंग्रेजी भाषा में) करने की अपेक्षा की जाती है, संलग्न कैलेंडर के अनुसार उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने की कृपा करें। अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण संलग्न नामांकन प्रपत्र में भरकर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के मुख्यालय, नई दिल्ली तथा ब्यूरो के मुंबई, बेंगलूर और कोलकाता स्थित अनुवाद प्रशिक्षण केंद्रों को भेजें, ताकि उनका पंजीकरण किया जा सके और बारी-बारी से उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा सके।

संलग्न : नामांकन प्रपत्र



(डॉ. एस.एन. सिंह)

निदेशक

फोन/फैक्स - 011-24362025

मेल - directb-dol@nic.in

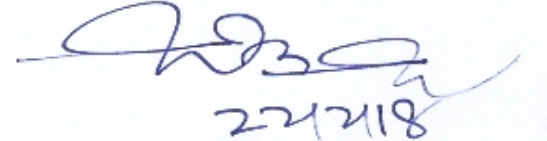
प्रतिलिपि:

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों और नियंत्रक महालेखाकार/महालेखाकार कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी, यथा वार्षिक कैलेंडर, पात्रता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषयवस्तु आदि ब्यूरो/राजभाषा विभाग की वेबसाइट (<http://ctb.rajbhasha.gov.in>) पर देखी जा सकती है।

अतः भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों आदि से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय के साथ-साथ अपने अधीनस्थ कार्यालयों के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिनसे अनुवाद कार्य या सरकारी कार्य द्विभाषिक रूप में (हिंदी और अंग्रेजी भाषा में) करने की अपेक्षा की जाती है, संलग्न कैलेंडर के अनुसार उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने की कृपा करें। अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण संलग्न नामांकन प्रपत्र में भरकर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के मुख्यालय, नई दिल्ली तथा ब्यूरो के मुंबई, बेंगलूर और कोलकाता स्थित अनुवाद प्रशिक्षण केंद्रों को भेजें, ताकि उनका पंजीकरण किया जा सके और बारी-बारी से उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा सके।

संलग्न : नामांकन प्रपत्र


22/2/18
(डॉ. एस.एन. सिंह)

निदेशक

फोन/फैक्स - 011-24362025

मेल - dirctb-dol@nic.in

प्रतिलिपि:

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों और नियंत्रक महालेखाकार/महालेखाकार कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।